भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2469**

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

**एनबीएफ़सी की ब्याज दरों में वृद्धि**

2469. श्री कीर्ति आज़ाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को या भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा ब्याज दरों में एकतरफा वृद्धि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उधारकर्ताओं की पूर्व सहमति के बिना ऋण अवधि बढ़ाने और ऑप्ट-आउट तंत्र की अनुपलब्धता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवास ऋण के लिए प्लवमान और नियत दर संरचनाओं के बीच चयन करने से संबंधित दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आवास ऋण खातों को अन्य ऋणदाताओं को हस्तांतरित करने के इच्छुक उधारकर्ताओं पर पूर्व-भुगतान जुर्माना लगाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, ब्याज दरों में वृद्धि के साथ-साथ ब्याज दरों से संबंधित अन्य विसंगतियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें नीचे दी गई हैं:

| **विवरण** | **शिकायतों की संख्या** |
|---|---|
| अत्यधिक ब्याज प्रभारित/ब्याज में विसंगति | 493 |
| भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज दर/वार्षिक ब्याज दर में बदलाव की नहीं दी गई सूचना | 141 |
| ब्याज दर में परिवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रभावित | 104 |
| अस्थिर (फ्लोटिंग) ब्याज दरों के लिए न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क) व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित मुद्दे | 56 |
| **कुल** | 794 |

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 1.10.2024 से 30.9.2025 की अवधि के लिए ब्याज दर (ब्याज की अतिरिक्त दर सहित) से संबंधित कुल 1196 शिकायतें (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पर 615 शिकायतें और शिकायत पंजीकरण और निगरानी प्रणाली-ग्रिड्स पर 581 शिकायतें) प्राप्त हुई हैं। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि सीपीग्राम पर प्राप्त शिकायतों में ब्याज दर (आरओआई)/अतिरिक्त आरओआई/कार्यकाल विस्तार से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार, सभी शिकायतों का निपटान कर दिया गया है, और कंपनियों को दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी जाती है।

(ख): आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिना किसी सूचना के ऋण अवधि के विस्तार से संबंधित कुल 123 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा, एनएचबी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 1.10.2024 से 30.9.2025 की अवधि के दौरान, ग्रिड्स पोर्टल पर उधारकर्ताओं की सहमति के बिना ऋण अवधि बढ़ाने से संबंधित 69 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग): भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अस्थिर (फ्लोटिंग) ब्याज दरों के लिए न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क) व्यवस्था में बदलाव से संबंधित मुद्दों के संबंध में कुल 56 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आरबीआई (एनबीएफसी - दायित्वपूर्ण कारोबार आचारण) निर्देश, 2025 के अनुसार, ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय, एक एनबीएफसी/एचएफसी अपने विकल्प पर, उधारकर्ताओं को अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान कर सकती है। पॉलिसी, अन्य *बातों के साथ-साथ,* यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि ऋण की अवधि के दौरान उधारकर्ता को कितनी बार स्विच करने की अनुमति दी जाएगी।

साथ ही, ऋणों को अस्थिर(फ्लोटिंग) से स्थिर दर में बदलने के लिए सभी लागू शुल्क और उपर्युक्त विकल्पों के प्रयोग से संबंधित किसी भी अन्य सेवा शुल्क/प्रशासनिक लागत का स्पष्ट तौर पर प्रकटीकरण स्वीकृति पत्र में किया जाएगा और समय-समय पर एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा ऐसे शुल्कों/लागतों के संशोधन के समय भी किया जाएगा।

(घ): एनएचबी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 1.10.2024 से 30.9.2025 की अवधि के दौरान, उधारकर्ताओं पर पूर्व भुगतान शुल्क/पूर्व-समाप्ति शुल्क लगाने और अग्रसारित पत्र जारी करने में विलंब से संबंधित कुल 528 शिकायतें (सीपीग्राम पर 351 शिकायतें और ग्रिड्स पर 177 शिकायतें) प्राप्त हुई हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार, इन सभी शिकायतों का निपटान कर दिया गया है, और कंपनियों को दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है।

आरबीआई के ऋणों पर पूर्व-भुगतान शुल्क संबंधी दिशानिर्देश, 2025 के अनुसार, जो दिनांक 1.1.2026 के पश्चात स्वीकृत या नवीनीकृत सभी ऋणों और अग्रिमों पर लागू होते हैं, कोई विनियमित इकाई (आरई) व्यक्तियों को कारोबार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए सभी अस्थिर (फ्लोटिंग) दर वाले ऋणों और अग्रिमों पर पूर्व-भुगतान शुल्क प्रभारित नहीं करेगी, चाहे उनके साथ सह-देनदार हों या न हों।

*****